लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या– 06 / 03 / अति–4 / 2018–19
प्रयागराजः दिनांक :23 अक्टूबर, 2019

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरूष / महिला शाखा परीक्षा 2018, दिनांक 29–07–2018 को प्रदेश के 39 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा के कम्प्यूटर पुरूष शाखा में कुल 7923 तथा महिला शाखा में कुल 2878 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रश्नगत पद का चयन 150 अंकों का है। प्रश्नगत परीक्षा में कम्प्यूटर पुरूष शाखा में 898 रिक्तियों के सापेक्ष 30 अभ्यर्थी औपबन्धिक रूप से चयनित हैं, अवशेष 868 पद अग्रेनीत हैं तथा कम्प्यूटर महिला शाखा में 775 रिक्तियों के सापेक्ष 6 अभ्यर्थियों का चयन औपबन्धिक रूप से किया गया है तथा 769 पद अग्रेनीत हैं। परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट **http://uppsc.up.nic. in** पर भी उपलब्ध है।

2–प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियो से यह अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाली विज्ञप्ति के अनुसार समयान्तर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन / चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3–प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–17183 / 2018, विजय नाथ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4. कम्प्यूटर (महिला शाखा) के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–10348 / 2018, 17698 / 2018, 17483 / 2018 एवं 13813 / 2018 में कम्प्यूटर महिला शाखा से संबंधित याचियों का अभ्यर्थन उक्त याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

5. कम्प्यूटर पुरूष शाखा के सन्दर्भ में योजित याचिका संख्या–13663/2018, 13597/2018, 9614/2018, 8175/2018, 17951/2018, 10148/2018, 17625/2018, 12374/2018, 16813/2018, 13587/2018, 13763/2018, 9891/2018, 13810/2018 19312/2018, 13622/2018 एवं 13697/2018 से संबंधित याचियों का अभ्यर्थन उक्त याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

6– प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/पदवार कट आफ अंक आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिये जायेगें। इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।